

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 478]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 14 सितम्बर 2022—भाद्र 23, शक 1944

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2022

संशोधित आदेश

क्रमांक 134-एफ-6-7-2009-अठारह-3.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 12 सितम्बर 2022 द्वारा भेलसा रामलीला मेला विधान 1956 (विधान क्रमांक 21 सन् 1956) की धारा 2 की उपधारा (1), (2), (2-अ) व (3) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (1) के तहत "भेलसा श्रीरामलीला मेला समिति, विदिशा (म. प्र.)" का गठन करते हुए, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 474 में अधिसूचना क्रमांक 133-एफ-6-7-2009-अठारह-3, दिनांक 12 सितम्बर 2022 को प्रकाशित की गई है.

प्रशासकीय दृष्टि से, राज्य शासन, एतद्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 12 सितम्बर 2022 के सरल क्रमांक 08 पर श्री कैलाश नारायण चतुर्वेदी [श्री रामलीला सभा (रजि.) भेलसा द्वारा अनुशंसित] के स्थान पर श्री कैलाश नारायण शर्मा [श्री रामलीला सभा (रजि.) भेलसा द्वारा अनुशंसित] किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.